रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03072026-273979
CG-DL-W-03072026-273979

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 21—जून 27, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 31—आषाढ 6, 1948
No. 21] NEW DELHI, JUNE 21—JUNE 27, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 31—ASHADHA 6, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statistical Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संस्थान [निदेशक, संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ), क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ), उप निदेशक और सहायक निदेशक] भर्ती नियम, 2010 को जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, सहायक निदेशक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.--** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.--** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक।	8 *(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (रु. 44900-142400)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(6)	(7)	(8)
आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	**शैक्षिक अर्हता –** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या सांख्यिकी या गणित या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री।	लागू नहीं.

पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	वांछनीय अनुभव: निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभवः- प्रचार-प्रसार, डेटा विश्लेषण सहित डेटा प्रबंधन, कानूनी मामले, डिजिटल माध्यमों सहित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली का विकास और वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण या लेखा- प्रशिक्षण । **टिप्पण-1:**अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(9)	**(10)**
दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) साठ प्रतिशत रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) तीस प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भरी जायेंगी; और (iii) दस प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जायेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : (i) तीस प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपये) के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी, जिन्होंने इस श्रेणी में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो- और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (बजट) आर्थिक कार्य विभाग, - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ii) दस प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा, अर्थात्:- (i) ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में स्तर 4 में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; या (ii) वे विभागीय अभ्यर्थियों जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400-1112400 रुपये) में स्तर 6 में आशुलिपिक के पद पर कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। **टिप्पण 1:** विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पचास वर्ष तक है। **टिप्पण 2:** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या को आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पूर्व में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को पश्चातवर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर प्राथमिकता दी जाए। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्र सरकार या राज्य सरकारों, या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जिहोंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिहोंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखता हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के अधीन ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	3. अपर निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान या उप- निदेशक (बजट) आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (जो पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (बजट) आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य; 3. अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान या उप निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य।	

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th June, 2026

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Institute [Director, Joint Director, Regional Director (Senior), Regional Director (Junior), Deputy Director and Assistant Director], Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of the Assistant Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director in the National Savings Institute, Delhi, under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, National Savings Institute, Assistant Director (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .–** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Director.	8 *(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level -7 in the pay matrix (Rs 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not exceeding thirty years of age (Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Educational qualification.- Bachelor's degree in Commerce or Statistics or Mathematics or Information Technology or Computer Science from a recognised university or institute. Desirable experience. -Three years experience in any of the following fields.- publicity, data management including data analytics, legal issues, development of Information Technology based system including digital modes and inspection or audit of financial institutions. **Note1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government or competent authority.	(i) sixty per cent of the vacancies by direct recruitment through Staff Selection Commission ; (ii) thirty per cent of the vacancies shall be filled by promotion failing which by deputation (including short term contract); and (iii) ten per cent of the vacancies shall be filled on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) thirty per cent of the vacancies shall be filled by promotion from Upper Divisional Clerk in level – 4 (Rs 25500-81100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in fields as prescribed by the Central Government or competent authority. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) ten per cent of the vacancies shall be filled on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from amongst the following candidates, namely :- (i) those departmental candidates who have completed at least eight years of regular service in the grade of Upper Divisional Clerk in level 4 in the pay matrix(Rs 25500 81100); or (ii) those departmental candidates who have completed at least five years regular service in the grade of Stenographer in Level-6 in pay matrix (Rs 35400-1112400). **Note1 :-** The maximum age-limit for eligibility for departmental examination is up to the age of forty-five years in case of general candidates and upto fifty years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Budget), Department of Economic Affairs - chairperson; 2. Director, National Savings Institute - Member; 3. Additional Director, National Savings Institute or Deputy Director (Budget), Department of Economic Affairs - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Budget), Department of EconomicAffairs - chairperson; 2. Director, National Savings Institute - Member; 3. Additional Director, National Savings Institute or Deputy Director (Budget), Department of Economic Affairs - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2:- If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employee qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research institution,- (a) (i)holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification as specified under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 2/042004-NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सा.का.नि. 114.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियमों, 1968 को, जहां तक उनका संबंध जूनियर कार्यकर्मियों (जूते, चमड़ा, लकड़ी और धातु) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, एतद्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई में जूनियर टेक्नीशियन (फुटवियर प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई में जूनियर टेक्नीशियन (फुटवियर प्रौद्योगिकी) (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, उपबंध अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर .	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जूनियर टेक्नीशियन (फुटवियर प्रौद्योगिकी)	22* (2026) ** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)|	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं ।
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार	अर्हताएँ: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से चमड़ा माल और फुटवियर-प्रौद्योगिकी या जूता बनाने में, कम से कम एक वर्ष की अवधि का प्रमाण

विभागीय कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयुसीमा - रित करने के लिए निर्धा निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी ।	पत्र या डिप्लोमा; और किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से चमड़ा माल और फुटवियर-प्रौद्योगिकी या जूता बनाने में दो वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। **टिप्पण 1**: अन्यथा सुअर्हित उम्मीदवरों के मामले में, अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करकेल की जा सकती हैं।शिथि , **टिप्पण 2**: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण मेंराय है कि उनके लिए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह , आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	दो वर्ष। **टिप्पण:** केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरम्भिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पणी:** पदाधिकारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने, अथवा लंबे समय से बीमार होने, अथवा अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है -: (क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ख) जो स्तम्भ (7) के तहत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना-**	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं	लागू नहीं।

	पुनर्वास संस्थान, मुंबई - अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य; 3. प्राध्यापक (भातितीक चिकित्सा एवं पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य; 4. प्राध्यापक (प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/01/2022-एम.एच.II/ एन-डी.सी.I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th June, 2026

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Junior Job Workers (Shoe, Leather, Wood and Metal), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technician (Footwear Technology) in the All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Junior Technician (Footwear Technology), Group 'C' Post , Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. —** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Junior Technician (Footwear Technology).	22 * (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Qualifications: (a) 10^{th} class pass from a recognised Board and (b) certificate or diploma in Leather Goods and Footwear Technology or shoe making of minimum one year duration from a recognised industrial training institute or any Government recognised institute and with one year experience in the relevant field from any organisation recognised by the Government; or (c) two years certificate or diploma in Leather Goods and Footwear Technology or shoe making from a recognised industrial training institute or any Government recognised institute. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the

		Central Government, - (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of Recruitment by promotionor by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**Ifa Departmental Promotion Committeeexists, whatisits composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Chairperson; 2. Deputy Director (Rehabilitation) All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 3. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation), All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai - Member; 4. Professor (Prosthetics and Orthotics), All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/01/2022-MH.II/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सा.का.नि. 115.— राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,(i) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग III एवं वर्ग IV पदों) भर्ती नियम 1968 जहाँ तक ये हमाला से संबंधित है (ii) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग IV पदों) भर्ती नियम, 1974 जहाँ तक ये आया से संबंधित है; (iii) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (ग्रुप घ पदों) भर्ती नियमें, 1982 जहाँ तक ये वार्ड बॉय और स्ट्रेचर बियरर से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करना का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिचर्या परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, परिचर्या परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -**उक्त पद की संख्या ,उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ) 2 (से स्तंभ) 4 (में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति ,आयु-सीमा ,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ) 5 (से स्तंभ) 13 (में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. प्रारंभिक गठन: इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व नियमित आधार पर नर्सिंग ऑर्डरली के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत सभी पदधारकों को इन नियमों के अंतर्गत उक्त पद पर नियुक्त माना जाएगा। ऐसे पदधारकों द्वारा नियमों के प्रवर्तन से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं को उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने तथा परिवीक्षा, पुष्टि, पदोन्नति और पेंशन आदि के प्रयोजनों हेतु अर्हकारी सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
परिचर्या परिचर	17* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए	शैक्षणिक अर्हताएँ: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास; और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र; और

	निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।	(iii) किसी 50 बिस्तर वाले अस्पताल में अस्पताल के कार्य का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में शिथिलता दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि के प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान ,मुंबई - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

2. उप निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान ,मुंबई - सदस्य;	
3. सहायक परिचर्या अधीक्षक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान , मुंबई - सदस्य ।	

[फा. सं. ए.11018/05/2017-एमएच II/एन.सी.डी-I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th June, 2026

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of –

(i) the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Hamals;

(ii) the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, (Class IV posts) Recruitment Rules, 1974, in so far as they relate to the post of Ayah; and

(iii) the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the posts of Ward Boys and Strecher Bearer,

except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai under the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Nursing Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial constitution. —** All the incumbents appointed and holding the post of Nursing Orderly on regular basis before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the said post under these rules and the services rendered by such incumbents prior to such commencement shall be taken into account for deciding their eligibility for seniority, qualifying service for the purposes of probation, confirmation, promotion, pension etc.

6. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Nursing Attendant.	17* (2026) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Educational qualifications : (i)10th class pass from a recognised Board; (ii) first aid certificate issued from the Central Government or State Government or recognised institute; and (iii) one year experience in hospital work in fifty bedded hospitals. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai - Chairperson; 2. Deputy Director (Rehabilitation), All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 3. Assistant Nursing Superintendent, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai – Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/05/2017-MHII/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.03 11:40:27 +05'30'